

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 895 / 2024

खेवर चन्द मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

- अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपलू जिला टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
- अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत राहोली, पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत पलेई, पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के एवं बिना जिला परिषद की सक्षम स्थायी समिति के द्वारा एक पंचायत समिति से दुसरी पंचायत समिति में किया गया है। अपीलार्थी को यात्रा-भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के माता-पिता काफी वृद्ध हैं। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रखा जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत राहोली, पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत, पलेई पंचायत समिति, निवाई, टोंक में स्थापना स्थाई समिति, जिला परिषद, टोंक की बैठक दिनांक 19.02.2024 के प्रस्ताव संख्या 02 की पालना में उसी जिले की पंचायत समिति में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।
5. इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य